न्यायालय –श्री अरूण कुमार शर्मा जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 290/2026
(जहानाबाद थाना काण्ड संख्या 337/2025)
सुदय यादव उर्फ सुदय कुमार बनाम बिहार सरकार

19.03.2026 *जहानाबाद थाना काण्ड संख्या 337/2025 अंतर्गत धारा 140(1),140(3),103(1), 238, 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं आरोप पत्र धाराएँ 61(2), 140(1), 103(1), 238/3(5) की प्राथमिकी के अप्राथमिकी अभियुक्त सुदय यादव उर्फ सुदय कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन काण्ड दैनिकी एवं अवर न्यायालय में लम्बित मूल अभिलेख की प्राप्ति पश्चात् सुनवाई हेतु प्रचालित किया गया।*

आवेदक /अभियुक्त सुदय यादव उर्फ सुदय कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार चौधरी एवं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री शारदा नन्द कुमार को सुना।

आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक /अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं। इस जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक अभियुक्त की ओर से किसी प्रकार का जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में न तो दाखिल किया गया है या ना ही किसी न्यायालय में लम्बित है। आवेदक/ अभियुक्त इस कांड के अलावे तीन अन्य काण्ड मखदुमपुर थाना काण्ड सं0 129/23, काको थाना काण्ड सं088/25 एवं जहानाबाद थाना काण्ड सं0 333/25 में संलिप्त है जिसमें मखदुमपुर थाना काण्ड सं0 129/23 में जमानत पर मुक्त हैं। आवेदक प्राथमिकी का नाजमद अभियुक्त नहीं है तथा आवेदक अभियुक्त का नाम अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा एक सोची–समझी साजिस के तहत अनैतिक लाभ लेने के लिए लाया गया है एवं आरोप पत्र में आवेदक अभियुक्त का नाम सत्य पाते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया आरोप झूठा, मिथ्या, बेबुनियाद एवं सत्य से परे है। आवेदक/अभियुक्त कानूनप्रिय व्यक्ति है तथा न्यायालय के आादेश के आलोक में अपना बंध पत्र भरने को तैयार है। अन्त में, आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया और कहा गया कि इस काण्ड के मुख्य अभियुक्त उदय यादव का भांजा सह अभियुक्त रवि रंजन के खाते में उसी दिन आवेदक/अभियुक्त सुजीत कुमार के माध्यम से 50,000/– नगद रविरंजन को दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त इस मामले में पूर्णतया संलिप्त है। अन्त में उनके द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख संलंग्न काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि सूचक के चाचा राजकुमार साव दिनांक 28.4.25 को जहानाबाद कोर्ट में केस के सिलसिले में आये हुए थे और जब वह कोर्ट से लौट रहे थे तब उसका स्कार्पियो गाड़ी सं0 बी.आर. 02एम.23363 से अपहरण कर लिया गया। बाद में उनकी लाश बरामद हुई। आवेदक/अभियुक्त इस

न्यायालय –श्री अरूण कुमार शर्मा जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 290/2026
(जहानाबाद थाना काण्ड संख्या 337/2025)
सुदय यादव उर्फ सुदय कुमार बनाम बिहार सरकार

मामले के सह अभियुक्त व मुख्य अभियुक्त उदय यादव के पुत्र हैं। सह अभियुक्त उदय यादव ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में उसके कहने पर आवेदक/अभियुक्त व भॉजे रवि रंजन के द्वारा सह अभियुक्त रंजन गुप्ता के भाई आदित्य राज के खाते में फिरौती के रूप में 50,000/– की रकम अन्तरित की गई थी। काण्ड दैनिकी की कण्डिका 134 के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 28.04.2025 को आदित्य राज के खाता में रवि रंजन जो कि सह अभियुक्त उदय यादव का भॉजा है, के द्वारा 50,000/– आदित्य राज के खाता में भेजा गया जिसे तत्काल आदित्य राज द्वारा रंजन गुप्ता के खाता में ट्रान्सफर किया गया। काण्ड दैनिकी की कण्डिका 137 से विदित होता है कि रवि रंजन के खाते में में उसी दिन आवेदक अभियुक्त के द्वारा 50,000/– रूपया नगद जमा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त घटना कारित कराने के लिए सुपारी के तौर पर पैसा अंतरण किया गया था। जिससे प्रथमदृष्ट्या आवेदक/अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता दर्शित हो रही है। अनुसंधान के क्रम में सूचक एवं अन्य साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथन का समर्थन किया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्व लगाया गया आरोप गम्भीर प्रकृति का है। इस मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों एवं सामग्री के आधार पर तथा अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को देखते हुए मैं आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0/अस्पष्ट

प्र0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जहानाबाद।